

पुठ सं 30/2015 विविध उत्तमान कुमारी दिवा
बनाम जगदीश झाड़े, न्यायालय जिला कलकत्ता
दुर्गमगंगा

7-2-17

वकील उमय पत्र उपलब्ध। वकील
उपार्थी सं 1 व 2 द्वारा रावकीप अधिकारी
के कथन किया है कि उपार्थी द्वारा जिला
पीठाधीन अधिकारी के विरुद्ध अपील पर
पेश किया था जो पीठाधीन अधिकारी का
स्वाभाविक अन्तर्गत स्थान पर हो गया है
इसलिए उपार्थी का अपील पर ठीक
निष्पत्ती हो गया है। उपार्थी का अपील
पर रवाना परामा जल।

उपार्थी सं 1 व 2 के वकील व रावकीप
अधिकारी के कथनों पर गठ किया गया
पत्रावली का अवलोकन किया। उपार्थी द्वारा
जिला पीठाधीन अधिकारी के विरुद्ध
अपील पर पेश किया जो पीठाधीन अधिकारी
का स्वाभाविक अन्तर्गत स्थान पर हो गया
है ऐसी स्थिति में उपार्थी का अपील पर
अन्तर्गत चार 235 आर.टी.ए. निष्पत्ती हो
गया है। अतः उपार्थी का अपील पर अन्तर्गत
चार 235 R.T.A को इस स्थिति पर रवाना
किया जाना है। आदेश की प्रति उपर्युक्त
अधिकारी दिवा को भेजी जाये। पत्रावली
सम्बन्धित कस की जाकर दायर दायर
की जाये। आदेश हुआ गया।